



सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद (सम्पत्ति प्रबन्ध),

दुकान सं.—एस 2,3,4 व 5, चन्द्रशेखर आजाद नगर, उन्नाव



आवश्यक सूचना

“मा0 न्यायालय जिला फोरम उन्नाव के परिवाद संख्या 393 / 1994 के वादी श्री राम नाथ तिवारी, परिवाद संख्या 393 / 1994 में मा0 न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19.04.2001 के आलोक में इस विज्ञप्ति के प्रकाशित होने के 30 दिन के अन्दर भवन संख्या सी-22 एवं सी-23 का दावा (क्लेम) प्रस्तुत करें, अन्यथा जनहित को ध्यान में रखते हुए परिषद नियमानुसार प्रकरण से आच्छादित राजकीय सम्पत्तियों (भवन संख्या सी-22 एवं सी-23) को परिषद नियमानुसार आवंटन / नीलामी की विज्ञप्ति प्रकाशित कराकर नीलामी के माध्यम से किसी अन्य के पक्ष में आवंटित किये जाने की कार्यवाही पूर्ण कर दी जायेगी। तत्पश्चात कोई दावा (क्लेम) मान्य नहीं होगा।”

सम्पत्ति प्रबन्धक